

(राजनैतिक दलों द्वारा समाचार पत्र, दल के सोशल मीडिया प्लेटफार्म और वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाने हेतु)

अभ्यर्थी के रूप में चयनित किए गए लंबित आपराधिक मामलों वाले व्यक्तियों से संबंधित सूचना और ऐसे चयन के कारण तथा बिना आपराधिक पूर्ववृत्त वाले अन्य व्यक्तियों को अभ्यर्थी के रूप में क्यों नहीं चुना गया, से संबंधित विवरण (वर्ष 2011 की रिट याचिका ( सिविल ) सं 536 में वर्ष 2018 की अमानना याचिका ( सिविल ) सं 2192 में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 13.02.2020 के आदेश के अनुसरण में जारी आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार )

राजनैतिक दल का नाम :- राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी  
निर्वाचन का नाम :- राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023  
राज्य/सं.रा. क्षेत्र का नाम :- राजस्थान  
( 1 ) निर्वाचन क्षेत्र का नाम :- नीम का थाना (38)  
अभ्यर्थी का नाम :- श्री राजेश कुमार


क्र.सं.		
1	आपराधिक पूर्ववृत्त	
	क.	अपराधों की प्रकृति
	ख.	मामला संख्या
	ग.	न्यायालय का नाम
	घ.	क्या आरोप विरचित कर दिए गए हैं या नहीं ( हा / नहीं )
	ङ.	दोषसिद्धि की तिथि, यदि कोई हो
	च.	भुगती गई सजा का विवरण, यदि कोई हो
2.	अभ्यर्थी के चयन का कारण। चयन, अभ्यर्थी की योग्यता, उपलब्धि और उसकी मेरिट को देखते हुए किया जाएगा न कि सिर्फ मतदान में 'विजय प्राप्त करने की क्षमता'। ( 100 शब्द से अधिक न हो )	
3.	यह कारण बताएं कि बिना आपराधिक पूर्ववृत्त वाले अन्य व्यक्तियों को अभ्यर्थी के रूप में क्यों नहीं चुना गया। ( 100 शब्द से अधिक न हो )	
		<b>Criminal</b>
		1 मुकदमा नम्बर 461/20 पी.एस. नीम का थाना शहर 2 मुकदमा नम्बर 165/22 पी.एस. पाटन 3 मुकदमा नम्बर 360/2009 पी.एस. नीम का थाना शहर 4 मुकदमा नम्बर 159/05 पी.एस. नीम का थाना 5 मुकदमा नम्बर 460/10 पी.एस. नीम का थाना
		1 अनुसंधान लम्बित 2 अनुसंधान लम्बित 3 न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम संख्या 1 नीम का थाना 4 एसीजेएम नम्बर 2 नीम का थाना 5 जे एम नीम का थाना
		1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 हां 5 हां
		1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 03.04.2014 5 29.11.2016
		1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 500 रुपये अभियोजन व्यय 5 200 रुपये अभियोजन व्यय
		अभ्यर्थी श्री राजेश कुमार का पार्टी कार्यकर्ताओं व पार्टी पर्यवेक्षकों की राय शुमारी से चयन किया गया। श्री राजेश कुमार जनहित व सामाजिक कार्यों के लिए लगातार सक्रिय व दलित व पिछड़े वर्ग के हितों के संरक्षण के लिए भी सक्रिय है।
		पार्टी से चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों व पार्टी कार्यकर्ताओं ने श्री राजेश कुमार को इनके इनके द्वारा किए जा रहे जनहित के कार्यों को देखते हुए एक राय होकर इन्हें ही पार्टी प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ाने की राय दी इसलिए इन्हें चुना गया।

( 2 ) निर्वाचन क्षेत्र का नाम :- नीम का थाना (38)

अभ्यर्थी का नाम :- श्री राजेश कुमार

इत्यादि।

\*राज्य सभा या विधान सभा सदस्यों ( एमएलए ) द्वारा विधान परिषद के निर्वाचन के मामले में निर्वाचन क्षेत्र के नाम के स्थान पर संबंधित निर्वाचन का उल्लेख करें।

  
राजनैतिक दल के पदाधिकारी के हस्ताक्षर  
नाम और पदनाम  
नेमसिंह (सचिव)